



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 423]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 11 सितम्बर 2014—भाद्र 20, शक 1936

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2014

क्र. एफ 2-1-14-बाईस-पं. 2.— राज्य सरकार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 43 के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश निर्वाचन नियम, 1995 में निम्नलिखित संशोधन करता है:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 88 में, उप नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किए जाएं अर्थात् :—

“(3) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ई.वी.एम.) द्वारा निर्वाचन संचालित होने के पश्चात् डिटेचेबल मेमोरी माइक्रूल (डी.एम.एम.) तथा निर्वाचन से संबंधित समस्त आवश्यक सामग्री ऐसी कालावधि तक रखी जाएगी जैसा कि आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, निर्देश दें”.

No. F. 2-1-2014-XXII-P-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with Section 43 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) Government of Madhya Pradesh hereby make the following amendment :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 88, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(3) After conduct of election by Electronic Voting Machine (E.V.M.), the Detachable Memory Module (DMM) and all necessary material relating to election shall be retained for such period, as the commission may, by general or special order, direct”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बृजेश कुमार, अपर सचिव.